न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी

आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 43/2020

पूरण मल पुत्र रामनाथ जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा जिला दौसा राज0

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 9.11.2020 उनवानी सरकार बनाम पूरणमल प्रकरण संख्या 307/2020 धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1. श्री मक्खन लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

:: निर्णय ::

दिनांक 22.06.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल ने दिनाक 9.11.2020 को ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा के आ0ख0 न0 1 रकबा 0.01है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास से दंडित कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का बीनावाला ने एक कतई झूंठी व गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1 के रकबा 0.01है. पर गोबर व ढहरे डाल अतिचार किया है। पटवारी हल्का की उक्त गलत व झूंठी रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार सैंथल ने अपीलांट को बिना कोई विधिवत सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिये बिना निर्णय पारित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल करने व दो माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। प्रथम दृष्टया अपीलांट के विरूद्व किसी भी प्रकार के जुर्म की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को दोषी मानते हुए दंडित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का एक भी तत्व प्रमाणित नहीं होने के बावजूद अपीलांट को दोषी मानकर सजा देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर कोइ गौर नहीं किया है। पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] तया मनमानेपूर्ण तरीके से कानून व नियमों की सही व्याख्या नहीं कर निर्णय पारित [illegible] अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतः [illegible] अपीलांट स्वीकार फरमाई [illegible] अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल द्वारा मुकदमा नंबर 307/2020 प्रकरण [illegible] सरकार बनाम पूरणमल में पारित निर्णय दिनाक 9.11.2020 को [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:45 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसे अपीलांट की पुत्र वधु द्वारा प्राप्त किया गया। अपीलांट बाद तामील नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2077 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 1 रकबा 0.01 है0 गोबर डहरा डालकर कब्जा किया जाना अंकित है। साथ ही पटवारी की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट बाद तामील नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ है, परन्तु अपीलांट द्वारा अतिक्रमण के संबंध में कोई जवाब/दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। साथ ही पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा अपनी रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटा लेने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र का भौतिक सत्यापन तहसीलदार सैंथल से कराये जाने पर तहसीलदार सैंथल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलांट ने राजकीय चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा लिया गया है। वर्तमान में अपीलांट का चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 01 से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:45 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 [illegible] 2022 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा